

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4696  
31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए  
दीनदयाल अंत्योदय योजना

4696. श्री सुरेश कश्यप:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए लाभों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में प्रत्येक व्यक्ति को आवास कब तक प्रदान किए जाने का विचार है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) का उद्देश्य स्थायी आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करना है। 01.04.2014 से 28.02.2022 तक मिशन के विभिन्न घटकों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 'सब के लिए आवास 2022' के अपने विजन तहत 25.06.2015 से सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों हेतु आवासों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद कर रहा है। अब तक स्वीकृत 1.15 करोड़ आवासों में से, 56.3 लाख आवासों को पूरा करके लाभार्थियों को वितरित कर दिया गया है।

अनुलग्नक-1

दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 28.02.2022 तक डीवाई-एनयूएलएम के 'सामाजिक एकजूटता और संस्था विकास', 'कौशल प्रशिक्षण और प्लेस्मेंट के माध्यम से रोजगार' और 'स्व रोजगार कार्यक्रम' के घटकों के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की वास्तविक प्रगति के संदर्भ में दिनांक 31.03.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4696 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.स	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	परिक्रामि निधियां प्राप्त करने वाले एसएचजी की संख्या	कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले कुशल उम्मीदवारों की संख्या	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को संवितरित किए गए ऋणों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	75063	39606	80861	74077	83124	321256
2	अरुणाचल प्रदेश	514	281	3020	949	74	11
3	असम	16591	14369	14552	3762	3277	3209
4	बिहार	25474	16123	27802	7806	9046	5372
5	छत्तीसगढ़	28820	20737	41698	15747	35047	9200
6	गोवा	652	830	5636	2761	244	1
7	गुजरात	31237	25120	82446	44157	19321	10052
8	हरियाणा	5787	3301	21058	11458	4424	417
9	हिमाचल प्रदेश	3860	3519	5290	2496	2995	720
10	जम्मू और कश्मीर	2674	984	3086	403	12371	67
11	झारखंड	16618	10240	93959	39633	7493	1990
12	कर्नाटक	20719	12640	11641	36	15586	1787
13	केरल	22148	27949	17099	12373	8320	35019
14	मध्य प्रदेश	40962	21441	180575	114102	67116	14640
15	महाराष्ट्र	79782	62373	183087	97228	47091	45174
16	मणिपुर	2925	2177	696	357	7	28
17	मेघालय	283	128	1235	604	125	5
18	मिजोरम	1260	1366	8375	3494	2200	208
19	नागालैंड	576	90	0	409	303	0
20	ओडिशा	34177	20501	17026	4475	32391	14174
21	पंजाब	7569	2250	31440	18419	7794	8
22	राजस्थान	26462	18808	19805	7995	25901	2663
23	सिक्किम	69	37	3294	340	35	0
24	तमिलनाडु	97067	60280	14409	9754	236303	61878
25	तेलंगाना	37533	7252	24294	17232	12857	102312
26	त्रिपुरा	2197	1769	2094	783	984	800
27	उत्तर प्रदेश	40777	24101	182943	96526	60992	6694
28	उत्तराखंड	2351	1300	18484	8162	6510	254
29	पश्चिम बंगाल	52834	56347	57238	22154	8210	34575
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	101	42	0	0	4	0
31	चंडीगढ़	351	242	4717	2240	74	0
32	दिल्ली	372	19	796	152	151	0
33	पुदुचेरी	741	712	105	0	425	706
34	लद्दाख	6	0	0	0	21	0
	कुल	6,78,552	4,56,934	11,58,761	6,20,084	7,10,816	6,73,220

दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 28.02.2022 तक डीएवाई-एनयूएलएम के 'शहरी बेघर के लिए आश्रयगृह योजना' और 'शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता' के घटकों की वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू आश्रयगृहों की संख्या	शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता		
			पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले शहरों की संख्या	सर्वेक्षण किए गए शहरों में चिन्हित पथ विक्रेताओं की संख्या	जारी किए गए विक्रय प्रमाण पत्र (सीओवी) की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	676	676
2	आंध्र प्रदेश	87	110	2,56,926	2,42,049
3	अरुणाचल प्रदेश	0	31	7,605	818
4	असम	1	79	54,984	1,775
5	बिहार	82	136	1,56,965	1,56,965
6	चंडीगढ़	1	1	10,930	10,930
7	छत्तीसगढ़	25	61	1,06,520	3,428
8	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0	3	2,928	1,853
9	दिल्ली	193	0	72,457	56,422
10	गोवा	3	11	2,881	2,262
11	गुजरात	53	170	3,21,406	2,09,885
12	हरियाणा	51	87	1,17,028	56,038
13	हिमाचल प्रदेश	19	54	6,486	4,903
14	जम्मू और कश्मीर	1	11	31,777	20,861
15	झारखंड	55	44	71,923	26,574
16	कर्नाटक	51	277	2,65,477	1,05,323
17	केरल	17	93	23,154	3,210
18	लद्दाख	0	2	427	427
19	मध्य प्रदेश	119	378	7,04,587	7,04,708
20	महाराष्ट्र	89	154	5,84,416	29,171
21	मणिपुर	0	4	15,698	1,472
22	मेघालय	4	6	1,764	253
23	मिजोरम	94	8	3,960	3,193
24	नागालैंड	2	12	4,302	1,818
25	ओडिशा	45	114	80,841	24,818
26	पुदुचेरी	2	5	3,144	2,150
27	पंजाब	27	165	1,49,215	67,929
28	राजस्थान	208	196	1,93,568	23,817
29	सिक्किम	1	0	0	0
30	तमिलनाडु	229	664	3,09,449	53,717
31	तेलंगाना	35	141	5,02,233	3,57,840
32	त्रिपुरा	6	20	8,666	8,656
33	उत्तर प्रदेश	128	128	8,49,108	6,14,798
34	उत्तराखंड	11	91	26,483	19,158
35	पश्चिम बंगाल	39	0	673	0
	<b>कुल</b>	<b>1,678*</b>	<b>3,257</b>	<b>49,48,657</b>	<b>28,17,897</b>

[\*शहरी बेघरों के लिए आश्रयगृहों की कुल क्षमता 96,386 है।]